




छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 651

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक प्रोजेक्ट :- श्री रवि बाघेल

CGRERA-P-: SM-PRO-2019-00920


आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23.05.2020	<p>प्रकरण प्रस्तुत । कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक-40/रेरा/2020/566, रायपुर, दिनांक 20.05.2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में तिथि बढ़ाई गई ।</p> <p>मा0दि0- 22/07/2020</p> 	
10.08.2020	<p>प्रकरण प्रस्तुत । कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्राधिकरण के आदेश/सूचना पत्र क्रमांक-784/पंजी./रेरा/2020 रायपुर दिनांक 21.07.2020 एवं आदेश क्रमांक-08/वाचक/रेरा/2020 रायपुर दिनांक 21/07/2020 के अनुसार प्रकरण में तिथि बढ़ाई गई ।</p> <p>मा0दि0- 26/08/2020</p> 	
26/8/2020	<p>(1) Case taken today through Vc .</p> <p>(2) NA absent. Notices returned unsewed as the NA was not found at the address and has "left".</p> <p>(3) Report not received from SDM Durg . Reminders to be sent again.</p> <p>(4) Case tried for further proceedings .</p> 	

गढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण दर्ज दिनांक

रवि बाघेल

CGRERA-P-: SM-PRO-2019-00920

आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
<p>directions of Hon^{ble} Authority letter to Collector District-Durg, N.N. and Joint Director, TREP, Durg seems seems that the promoter received necessary approvals required for the development of) to take appropriate actions relevant law.</p> <p>Closed, to be sent for records.</p>	<p> 26/8/2020 Registrar Real Estate Regulatory Authority Chhattisgarh, Raipur</p>